(10)

निग0-3461/2018/सतना/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा, जिला—रीवा(म.प्र.)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1— राजेन्द्र पाण्डेय पिता स्व0 कमला प्रसाद पाण्डेय, उम्र—59 वर्ष, पेशा—नौकरी, निवासी डालीबाबा मंदिर के पीछे सतना, (म0प्र0)

2— श्रीमती विमला पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय, उम्र—58 वर्ष, पेशा—गृहकार्य, निवासी डालीबाबा मंदिर के पीछे सतना, (म0प्र0)

अधि0 श्री महेश तिवारी द्वारा पेश। 06.06.18

————निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीमती रमा देवी शुक्ला पत्नी स्वप्निल शुक्ला, उम्र—28 वर्ष, निवासी हाथीकुंज, बैंक कालोनी, मैहर, जिला—सतना (म0प्र0)

————गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला—सतना के रा0प्र0क्रं0—28ए/12/2015—16 मे पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध निगरानी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है—

1— माननीय राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना, तहसील—रघुराजनगर, जिला—सतना द्वारा पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 01.03.2016 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 की धारा 129 वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

Pandey

(10)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग०/3460/2018/ .... जिला सतना

राजेन्द्र पाण्डेय ....विरूद्ध श्रीमती रमादेवी

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त - सतना तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 01-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	